क्रम संख्या–109 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2022 ई0
पौष 02, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 358/XXXVI (3)/2022/66(1)/2022
देहरादून, 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक, 2022'** पर दिनांक 21 दिसम्बर, .2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 14 वर्ष, 2022** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2022 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 8 की उपधारा (6) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्–

"(6) कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में कार्य समाप्त होने पर पंचायत के सभी अभिलेख, धनराशि या अन्य सम्पत्ति को तत्काल अपने उत्तराधिकारी या नियत प्राधिकारी द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति को देने में चूक करेगा तो वह रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।

धारा 106 (ग घ) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 106 (ग घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्–

"106 (ग घ) जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन जिला पंचायत द्वारा या जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत के साथ हुई किसी संविदा के अधीन नियोजित हो, उसके कर्तव्यों के पालन करने में संविदा को पूरा करने में रूकावट डाले या तंग करे या इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी निर्माण–कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक सतह या दिशा को बतलाने के प्रयोजन से लगाये गये किसी चिन्ह को हटाये, तो वह दोषी पाये जाने पर प्रथम बार में रूपये 10,000 (रूपये दस हजार मात्र) द्वितीय बार में रूपये 25,000 (रूपये पच्चीस हजार मात्र) तथा तृतीय बार में रूपये 30,000 (रूपये तीस हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा तथा

प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिये रूपये 50,000 (रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

धारा 148 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 148 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्–

"148 जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन किये गये किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह प्रथम बार रूपये 30,000(रूपये तीस हजार मात्र) तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन के लिए रूपये 50,000(रूपये पचास हजार मात्र) के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

धारा 149 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 149 की उप धारा (क) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्–

"(क) नियम बनाने में राज्य सरकार तथा उपविधि बनाने में नियत प्राधिकारी की स्वीकृति से जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत निदेश दे सकती हैं कि कोई व्यक्ति इस नियम/उपविधि का उल्लंघन करता हो तो प्रथम बार में रूपये 5000(रूपये पाँच हजार मात्र) और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, तो वह एक ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम बार दोष सिद्धि के तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराधी द्वारा अपराध का निरन्तर किया जाना सिद्ध हो, रूपये 5000 (रूपये पाँच हजार मात्र) तक हो सकता है, के अर्थदण्ड का भागी होगा।"

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 11 वर्ष 2016), के अंतर्गत कतिपय अपराधों की वैधीकरण करने और इसके स्थान पर जुर्माने का उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 8(6), 106(ग घ), 148 तथा धारा 149 (क) में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2— प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उदेश्यों की पूर्ति करता है।

सतपाल महाराज
मंत्री